न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 191/2018

वादीगण :–

1 .कोलाराम पुत्र नगाराम

2 .हडमानराम पुत्र नगाराम

3 अणदाराम पुत्र नगाराम

4 कमलादेवी पुत्री नगाराम

5. भंवरीदेवी पुत्री नगाराम जाति चौधरी

निवासीयान–पारलू तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. नगाराम पुत्र सवाराम जाति चौधरी निवासी – पारलू तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः– 1. श्री उम्मेदसिंह वकील वादीगण
3. श्री जालमसिंह वकील प्रतिवादी

निर्णय   दिनांक :– 03.08.2022

संक्षिप्त में वाद कथन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पुस्तैनी भूमि खेत खसरा संख्या 212/2 रकबा 61 बीघा 5 विस्वा सरहद मौजा खारवा में स्थित है। वादीगण स्व. सवाराम पुत्र रूपाराम के पौत्र व पौत्रिया है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के माफिक दादा की सम्पति में पौते व पौत्रियों को जन्मसिद्व हक व अधिकार है उक्त वंश वृक्ष के अनुसार सहदायी के संयुक्त हिन्दु खानदान के सर्जरे के मुताबिक 1/6 प्रत्येक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का हक –हिस्सा व स्वतवः हैं परन्तु सवारामजी के देहान्त के बाद वादग्रस्त भूमि मात्र जरिये फौतगी नामान्तरकरण के नगारामजी के नाम अंकित हो गयी। जिससे नगारामजी द्वारा उक्त वा[illegible] हक का हस्तांतरण करने पर तत्काल आमदा है जिस कारण उक्त पुस्तैनी भू[illegible] महरूम न हो जाये फलस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध [illegible] के मुताबिक उक्त वाद पेश करना अति आवश्यक व लाजमी हुआ है। वादग्रस्त भूमि [illegible] संख्या 1 द्वारा खरीदी हुई या उनके व्यक्तिगत रूप से निजी हक हिस्सा व अधिकार की नहीं है बल्कि वादीगण के दादा सवारामजी से जरिये उत्तराधिकार प्रतिवादी संख्या [illegible] नाम अंकित है । अतः मौजा खारवा के खेत खसरा संख्या 212/2 रकबा 61 बीघा 5 विस्वा की भूमि में 1/6 हिस्सा प्रत्येक वादी तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या –1 का घोषित किया जावे व उसी हद तक प्रतिवादी संख्या 1 नाम वादग्रस्त भूमि से हटाया जावें एव इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती किया जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:53:51 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

वादीगण के वाद को दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या –1 के वकील ने उपस्थित । प्रतिवादी संख्या –1 नगाराम ने दिनांक 19.2.2021 को इकबाली जबाब पेश कर खसरा संख्या 212/2 रकबा 61 बीघा 5 बिस्वा की भूमि में 1/6 हिस्सा प्रत्येक वादीगण तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या –1 का घोषित किया जाता है तो उस हेतु मैं सहमत हूं मुझे कोई उज्र एतराज नहीं है।

साक्षी वादी में गवाह वादी स्वंय कोलाराम व प्रतिवादी संख्या –01 नगाराम का मुख्य परीक्षा स्वरूप शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया, एवं बयान कलमबंद्ध करवाये गये। वाद पत्र के साथ में प्रस्तुत जमाबंदी व नक्शा प्रदर्श करवाये गये। साक्षी वादी बंद की गयी।

विद्ववान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी । प्रतिवादी संख्या –1 के द्वारा आपसी सहमती से हक–हिस्से के अनुसार वादीगण के नाम दर्ज करने हेतु सहमत पेश की है ।ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर तहसीलदार **कल्याणपुर** को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि मौजा खारवा तहसील **कल्याणपुर** में स्थित भूमि के खसरा संख्या 212/2 रकबा 61 बीघा 5 विस्वा वादग्रस्त आराजी में वादग्रस्त आराजी में वादीगण का प्रत्येक –प्रत्येक का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या – 1 का 1/6 हिस्सा खातेदारी में घोषित किये जाते है । तहसीलदार **कल्याणपुर** को निर्देश प्रदान किये जाते है कि तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

डिग्री पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:53:51 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 191/2018

वादीगण :–

1. कोलाराम पुत्र नगाराम
2. हडमानराम पुत्र नगाराम
3. अणदाराम पुत्र नगाराम
4. कमलादेवी पुत्री नगाराम
5. भंवरीदेवी पुत्री नगाराम जाति चौधरी

   निवासीयान–पारलू तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. नगाराम पुत्र सवाराम जाति चौधरी निवासी – पारलू तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री वकील वादीगण मिनजानिब श्री उम्मेदसिंह वकील प्रतिवादीगण श्री जालम सिंह मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर तहसीलदार **कल्याणपुर** को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि मौजा खारवा तहसील **कल्याणपुर** में स्थित भूमि के खसरा संख्या 212/2 रकबा 61 बीघा 5 विस्वा वादग्रस्त आराजी में वादग्रस्त आराजी में वादीगण का प्रत्येक –प्रत्येक का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या – 1 का 1/6 हिस्सा खातेदारी में घोषित किये जाते है । तहसीलदार **कल्याणपुर** को निर्देश प्रदान किये जाते है कि तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.08.2022 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:53:51 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	4–00		स्टाम्प [illegible]	[illegible]	
स्टाम्प वकालतनामा	1–00		स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत	100–00		महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिष्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		